

सं०सं०-16/ए.3-27/2013-

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शेखर चन्द्र वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज, पटना।

प्राचार्य, राजकीय आर०बी०टी०एस०
होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर।

पटना/दिनांक-

विषय-आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक) के शैक्षणिक संस्थानों में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद/केन्द्रीय होमियोपैथिक परिषद के मापदण्ड के आलोक में सभी पदों को भरने हेतु दिनांक 10.12.2013 से विभिन्न तिथियों में आयोजित वाक-इन-इन्टरव्यू के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के पैनल की अवधि विस्तार के संबंध में।

प्रसंग-विभागीय पत्रांक-126(दे०चि०) दिनांक 13.02.2014

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि दिनांक 13.02.2014 को प्रकाशित राजकीय तिब्बी कॉलेज, पटना एवं राजकीय, आर०बी०टी०एस० होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर में व्याख्याता/प्रवाचक/प्राध्यापक की संविदा के आधार पर सी०सी०आई०एम०/सी०सी०एच० द्वारा निर्धारित शैक्षणिक न्यूनतम मापदण्ड को पूरा करने एवं संस्थान की मान्यता को दृष्टिपथ को रखते हुये नियुक्ति हेतु तैयार किये गये कुल 6 पैनलों की अवधि विस्तार पैनल समाप्ति की तिथि (13.02.2015) से अगले 6(छः) माह के लिए विस्तारित की जाती है।

छः माह की अवधि समाप्त होने की तिथि यानि 12.08.2015 से उक्त पैनल की वैधता स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 542 (दे०चि०)

पटना, दिनांक 12/6/2015

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, पटना/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के वि०का०पदा०/निदेशक, देशी चिकित्सा के निजी सहायक/उप निदेशक, आयुर्वेद, देशी चिकित्सा निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव